राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक प.4(1) राजकॉम्प/न्याय /2021 जयपुर, दिनांक :– 25.03.2026

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

समस्त जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी लाईट्स)

महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

विषयः– LITES पोर्टल के माध्यम से बैठक कार्यवाही (MoM) की सूचना अपलोड करने की नई सुविधा के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयानुसार न्याय विभाग के LITES पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण प्रतिमाह न्याय विभाग की ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित किया जाता है। उक्त व्यवस्था को अधिक सरल करते हुए LITES पोर्टल के नवीन संस्करण में बैठक कार्यवाही विवरण अपलोड करने की सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध करा दी गई है।

Department login ⟶ Case Management ⟶ MOM Report
District login ⟶ Case Management ⟶ MOM Report

अतः आपसे अनुरोध है की LITES पोर्टल में उक्त सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

शासन **उप सचिव**